डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : उपखण्डाधिकारी धौलपुर
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 23 / 2019

1. भोपालसिंह उर्फ भूपालसिंह । पुत्रगण स्व0 जौहरी जातिगण कुशवाह निवासीगण
2. ओमप्रकाश । ग्राम महाराजपुरा (भगवन्तगढ) तहसील व जिला
3. अशोक । धौलपुर ....वादीगण
4. पवन कुमार ।

बनाम

5. संतोषकुमार पुत्र केशवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गिरीश विहार कोलोनी ओ... रोड़ धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
6. गिरीश कुमार पुत्र दाताराम जाति वैश्य निवासी संतर रोड़ धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील व जिला धौलपुर ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा काश्त व स्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 53, 188 आरटीए।

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री देवीसिंह एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई एवं श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट मिनजानिव मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 14.07.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 14.07.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर (मु0)
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर मुख्यालय धौलपुर(राज0)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 23/2019

1. भोपालसिंह उर्फ भूपालसिंह । पुत्रगण स्व0 जौहरी जातिगण कुशवाह निवासीगण
2. ओमप्रकाश । ग्राम महाराजपुरा (भगवन्तगढ़) तहसील व जिला
3. अशोक । धौलपुर
4. पवन कुमार ।

............................वादीगण

बनाम

1. संतोषकुमार पुत्र केशवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गिरीश विहार कोलोनी ओड़ेला रोड़ धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. गिरीश कुमार पुत्र दाताराम जाति वैश्य निवासी संतर रोड़ धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील व जिला धौलपुर

................प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा काश्त व स्थायी निषेधाज्ञा
अधीन धारा 53, 188 आरटीए।

निर्णय

दिनांक 14.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 23.12.2019 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 485 दिनांक 27.06.2025 से रिपोर्ट भिजवाते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 719 रकबा 7 बीघा 8 विस्वा बाकै ग्राम सरकनखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर पर उभयपक्ष की सहमति से जरिये 90 ए आदेश नगर परिषद धौलपुर के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है इसलिए विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये जा सकते है।

उभयपक्ष को तहसीलदार रिपोर्ट पर सुना गया। उभयपक्ष ने कथन किया कि विवादित आराजी जरिये आदेश 90 ए नगरपरिषद के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है इसलिए वह अब न्यायालय से बंटवारे का अनुतोष नहीं चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 719 बाकै ग्राम सरकनखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर वर्तमान में 90 ए आदेश से नगरपरिषद के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं अब काश्त भूमि नहीं रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत केवल काश्त भूमि पर ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, तथा वादीगण ने काश्त भूमि के बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का मूलवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। चूंकि विवादित आराजी अब काश्त की आराजी नहीं रही है और ना ही विवादित आराजी का उपयोग अब काश्त के लिए नहीं किया जा रहा है। विवादित आराजी का किस्म मौके पर बदल चुकी है। चूंकि विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

योग्य नहीं रही है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत [illegible] किया जाना संभव नहीं है। इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जाना [illegible] है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पक्षों [illegible] पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.07.2025 को खुले [illegible] मे सुनाया गया ।

(डॉ. साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर [illegible]
उपखण्ड [illegible]
सहायक धौलपुर [illegible] मुख्यालय
धौलपुर (राज0)